

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 727/2019

राजेंद्र प्रसाद कुर्मी पुत्र श्री राधे श्याम बोहरा, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 250, शांति सदन, ताज कॉलोनी, रोडवेज डिपो के सामने, टोंक

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस । प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

-----प्रतिवादी

इस से जुड़े

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 729/2019

माया चौहान पत्नी श्री कान सिंह चौहान, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 56 (पश्चिम), खटाना एन्क्लेव, महादेव नगर, नंदपुरी, जयपुर (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस । प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

-----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 758/2019

आरएफसी सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बी.आर. सिंह के माध्यम से, 630, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग), राज्य उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमती. -उर्मिला राजोरिया, प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
3. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) राज्य उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 772/2019

1. ओमकार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, आयु लगभग 62 वर्ष, 31.08.2016 को उप प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त, निवासी 21, वर्धमान कॉलोनी, जैन मंदिर के पास, एयरपोर्ट सर्किल, सांगानेर, जयपुर 302029
2. सुभाष चंद जैन, आयु लगभग 72 वर्ष, 30.12.2006 को उप प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त, प्लॉट संख्या 194, सचिवालय के निवासी। विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
3. मैक मीना पुत्र श्री अमीलाल मीणा, आयु लगभग 62 वर्ष, 31.07.2016 को डीजीएम के पद से सेवानिवृत्त, निवासी सेक्टर 7/188, विद्याधर नगर, जयपुर
4. मथुरेश स्वरूप माथुर, आयु लगभग 63 वर्ष, 30.09.2015 को उप प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त, निवासी 98, आरएफसी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर 302021
5. मोध अली पुत्र श्री बिशारत अली, आयु लगभग 62 वर्ष, उप प्रबंधक के पद से 30.11.2016 को सेवानिवृत्त, मोहल्ला निवासी इमामगंज वार्ड नंबर 15, पालवास रोड, सालासर स्टैंड के पास, पूनम मिष्ठान की गली, सीकर (राज 0)
6. आरएस गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री टीसी गुप्ता, आयु लगभग 69 वर्ष, 30.09.2007 को महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त, निवासी 92/232, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर
7. मधु सूदन रांकावत पुत्र स्वर्गीय श्री चंपा लाल जी रांकावत, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी 47, आरएफसी कॉलोनी, बी ब्लॉक के पास, वैशाली नगर, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
2. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 783/2019

1. वी.के. गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री एम.एल. गुप्ता, निवासी 10, कांति नगर, बनीपार्क, जयपुर।
2. जीएस यादव पुत्र स्वर्गीय श्री निहाल सिंह यादव, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ई-276, राम नगर एक्सटेंशन, सोडाला, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
2. श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 811/2019

रुर मल असवाल पुत्र स्वर्गीय श्री असवाल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ए-347, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस । प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 915/2019

नीलिमा देशमुख पत्नी श्री एस.के. देशमुख, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी ई-502, राजवीर पैलेस, फेस-1, पिंपल सौदागर, पुणे (महाराष्ट्र) वर्तमान में 95, आनंद बाग, कमान हाउस, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

2. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस । प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

----प्रतिवादी

डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 1210/2019

धरम वीर जश्रानी पुत्र स्वर्गीय श्री एन.सी. जश्रानी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 724, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती उर्मिला राजोरिया, आईएएस । प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, उद्योग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री अश्विनी कुमार जैमन श्री केशव के साथ पाराशर श्री जगदीश नारायण शर्मा श्री धरम वीर जश्रानी श्री संदीप सक्सैना सुश्री नेहा स्वामी एवं श्री प्रतीक श्री जय किशन योगी के लिए सक्सैना श्री येनु सत्यम
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री वीरेंद्र लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्री जय लोढ़ा और श्री अंकित सिंह राठौड़ श्री संदीप तनेजा, एएजी के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश आरक्षित दिनांक : **08/08/2024**

आदेश की घोषणा दिनांक : **16/08/2024**

अवनीश झिंगन, (जे)

1. इन अवमानना याचिकाओं पर सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 758/2019 से लिए गए हैं।
2. यह अवमानना याचिका डीबी विशेष अपील रिट संख्या 669/2017 और संबंधित मामलों में पारित इस न्यायालय के दिनांक 07.05.2018 के आदेश की अवज्ञा का अनुरोध करते हुए दायर की गई है।
3. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता राजस्थान वित्तीय निगम (संक्षेप में 'एसोसिएशन') के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का संघ है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, निगम में 01.04.1990 से लागू पेंशन योजना को 12.08.2004 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था। संघ ने कुछ कर्मचारियों के साथ एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 5450/2009 और संबंधित मामलों में पेंशन योजना को वापस लेने को चुनौती दी थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 02.03.2017 को याचिकाओं को खारिज कर दिया था। आदेश को चुनौती देते हुए दायर विशेष अपील (जिसे आगे 'अपील' कहा जाएगा) 07.05.2018 को स्वीकार कर ली गई थी। पेंशन योजना को वापस लेने का आदेश राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (संक्षेप में '1951 का अधिनियम') की धारा 48 का पालन किए बिना पारित होने के कारण रद्द कर दिया गया था। आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, यह माना गया कि राजस्थान वित्तीय निगम कर्मचारी पेंशन विनियम, 1990 (जिसे आगे '1990 के विनियम' कहा जाएगा) 1951 के अधिनियम की धारा 48 के तहत निर्धारित प्रक्रिया लागू करके वापसी तक पुनर्जीवित रहेंगे। कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था : (i) 12.08.2004 से पहले सेवानिवृत्त (ii) 12.08.2004 के बाद सेवानिवृत्त और अंतिम रूप से अभी भी सेवा में। श्रेणी (i) और (ii) के कर्मचारी 1990 के विनियम द्वारा शासित होने थे, जब तक कि उन्होंने अंशदायी भविष्य निधि (संक्षेप में 'सीपीएफ') योजना स्वीकार नहीं की हो।

कर्मचारियों के तीसरे समूह को 1990 के विनियमों द्वारा शासित किया जाना था, यदि उन्होंने सीपीएफ योजना का विकल्प नहीं चुना है, इस शर्त के साथ कि यदि 1951 के अधिनियम की धारा 48 का अनुपालन करने के बाद 1990 के विनियमन वापस नहीं लिए जाते हैं। राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 16.04.2019 को खारिज कर दी गई थी। प्रतिवादियों ने एक समीक्षा दायर की जिसमें कहा गया कि 21.07.2017 की अधिसूचना के तहत अपीलों के लंबित रहने के दौरान, 1951 के अधिनियम की धारा 48 का अनुपालन करने के बाद 1990 के विनियमन वापस ले लिए गए थे और कर्मचारियों की श्रेणी संख्या तीन के संबंध में निर्देशों को वापस लेने की आवश्यकता थी। 15.11.2018 को समीक्षा को खारिज करते हुए, यह ध्यान में रखा गया कि 21.07.2017 की अधिसूचना को चुनौती रिट याचिका में लंबित थी यह माना गया कि चूंकि 21.06.2004 के संकल्प के अनुसरण में पारित 12.08.2004 के आदेश को रद्द कर दिया गया था, परिणामस्वरूप, उसी संकल्प को लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचना रद्द करने के लिए उत्तरदायी थी। अपील में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 का पालन न करने पर अवमानना याचिकाएं दायर की गईं। अवमानना याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, 21.06.2004 से 1990 के विनियमों को वापस लेने के लिए दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना जारी की गई। वापसी 29.05.2020 के बोर्ड संकल्प के अनुसरण में थी। एसोसिएशन और कुछ कर्मचारियों ने अधिसूचना को चुनौती दी लेकिन याचिकाएं 21.08.2023 को वापस ले ली गईं। यह ध्यान रखना उचित होगा कि एक लंबित रिट में दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना और 21.06.2004 से इसकी प्रयोज्यता को चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 09.06.2020 की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि यह अधिसूचना जारी होने से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। तर्क यह है कि 2017

से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि न्यायिक मिसाल को बाद के संशोधन से अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। एस आर भागवत बनाम मैसूर राज्य **(1995) 6 एससीसी 16** और कमिश्नर, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुदैया के मामले में **(2007) 7 एससीसी 689** में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया गया है। प्रस्तुत किया गया है कि अपील में 1990 के विनियमों को वापस लेने की स्वतंत्रता केवल तीसरी श्रेणी तक ही सीमित थी।

5. प्रतिपक्ष के अनुसार, 1990 के विनियमों को 09.06.2020 की अधिसूचना द्वारा 21.06.2004 से वापस ले लिया गया है, इसलिए 07.05.2018 के आदेश का पालन करने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा 1990 के विनियमों को वापस लेने के लिए कोई शर्त नहीं थी और एकमात्र पूर्वापेक्षा 1951 के अधिनियम की धारा 48 के अनुसार प्रक्रिया को लागू करना था। प्रतिवादी के अनुसार, विनियमों को वापस लेने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता न केवल अपीलों में दी गई थी, बल्कि 26.2.2020 के आदेश में भी दूसरी रिट की अनुमति दी गई थी।

6. आगे बढ़ने से पहले, 07.05.2018 के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:

"धारा 48 के अवलोकन से बोर्ड के पास विनियम बनाने की शक्ति का पता चलता है। इसमें संशोधन, परिवर्तन और यहाँ तक कि उसे वापस लेना भी शामिल है। विनियमन में संशोधन या उसे वापस लेने के लिए भी यही प्रक्रिया आवश्यक है। अन्यथा इससे अराजकता पैदा होगी क्योंकि धारा 48 के तहत दी गई प्रक्रिया को लागू करने के बाद बनाए गए विनियमन, वह भी राजपत्र अधिसूचना के साथ, राजपत्र अधिसूचना को रद्द करने वाले प्रशासनिक निर्णय द्वारा संशोधित, परिवर्तित या

वापस लिए जाएँगे। विनियमों को वापस लेने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था जिसका इस्तेमाल उसे बनाने के लिए किया गया था। यह प्रतिवादियों द्वारा इस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया गया था, इस प्रकार उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे सुधार लिया है। हमारा विचार है कि 12.8.2004 का आदेश 1951 के अधिनियम की धारा 48 का पालन किए बिना पारित किया गया है, इसलिए यह टिक नहीं सकता। तदनुसार, हमें उपरोक्त मुद्दे पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के कारण मिलते हैं।

1990 के पेंशन विनियमनों का विनियमन 3, निस्संदेह, RFC को विनियमन में संशोधन, परिवर्तन, निरस्तीकरण, पुनर्निर्माण, अनुपूरण करने की शक्ति देता है, लेकिन यह 1951 के अधिनियम की धारा 48 को लागू करने के बाद ही किया जाना चाहिए। 1990 के पेंशन विनियमनों के विनियमन 3 को 1951 के अधिनियम की धारा 48 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विनियमन को अधिनियम के विपरीत नहीं पढ़ा जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम मुद्दा संख्या (1) पर निर्णय लेते हैं याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं के पक्ष में और गैर-याचिकाकर्ता गैर-अपीलकर्ताओं के खिलाफ।

अब सवाल यह है कि यदि 12.8.2004 का आदेश रद्द कर दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा? याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 1990 के पेंशन विनियम लागू रहेंगे। हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत हैं क्योंकि यदि 12.8.2004 का आदेश रद्द हो जाता है तो 1990 के पेंशन विनियम 1951 के अधिनियम की धारा 48 के तहत दी गई प्रक्रिया को लागू करके वापस लिए जाने तक लागू रहेंगे। एक और सवाल यह होगा कि यदि 12.8.2004 का आदेश रद्द हो जाता है तो कर्मचारियों पर क्या शासन होगा। हमें

कर्मचारियों के तीन समूहों को ध्यान में रखना होगा और तदनुसार, उपरोक्त मुद्दे से निपटना होगा। हम आरएफसी के कर्मचारियों और अधिकारियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर, कर्मचारियों/अधिकारियों की तीन श्रेणियां ऊपर दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों द्वारा शासित होंगी।

तदनुसार, आरएफसी को निर्देश दिया जाता है कि वह लाभ विस्तार के प्रत्येक मामले की, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अनुच्छेदों में की गई चर्चा, अवलोकन और निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, जाँच करे। उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाता है और तदनुसार उसे रद्द किया जाता है। अब सभी पक्ष इस निर्णय में दिए गए निर्देशों के अधीन होंगे।

सभी अपीलों का निपटारा तदनुसार किया जाता है।”

(जोर दिया गया)

7. अपीलें स्वीकार कर ली गईं और 1990 के विनियमों को वापस लेने का आदेश, जो 1951 के अधिनियम की धारा 48 का अनुपालन किए बिना पारित किया गया था, रद्द कर दिया गया। राहत प्रदान किए जाने के फलस्वरूप, 1990 के विनियमों को तब तक के लिए पुनर्जीवित कर दिया गया, जब तक कि 1951 के अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् उन्हें वापस नहीं ले लिया जाता।

8. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 1990 के विनियमों को वापस लेने की अपीलों में केवल तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में दी गई छूट के संबंध में उठाए गए

तर्कों पर इस स्तर पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि अपीलों में दिए गए निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और दिनांक 26.02.2020 के आदेश में दी गई छूट के प्रभाव को दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली लंबित रिट याचिका में भी विचार किया जाएगा।

9. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्क वास्तव में दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना को चुनौती देने का आधार हैं और यह 2024 की डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 1791 का विषय है।

10. रिट की मुख्य प्रार्थना पुनः प्रस्तुत है :

“अतः अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें और;

(I) उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा दिनांक 11.06.2020 (अनुलग्नक-12) की विवादित राजपत्र अधिसूचना और 21.06.2004 से पूर्वव्यापी रूप से इसकी प्रयोज्यता को रद्द किया जाए और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 48 के साथ पठित आरएफसी पेंशन विनियम, 1990 के विनियम 3 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300-ए के अतिरिक्त रद्द किया जाए।

प्रार्थना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 21.06.2004 से प्रभावी अधिसूचना की प्रयोज्यता को चुनौती दी जा रही है। दूसरे शब्दों में, विवादित अधिसूचना के परिणामस्वरूप, 1990 के विनियम 21.06.2004 से अस्तित्व में नहीं रहेंगे।

11. दिनांक 09.06.2020 को जारी की गई अधिसूचना के मद्देनजर, यह इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं है।

12. याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सभी लंबित आवेदन निष्फल किए जाते हैं।
13. नोटिस निरस्त माने जाएंगे।
14. दिनांक 09.06.2020 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली लंबित रिट याचिका में सफलता मिलने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को अवमानना याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सरल कुमावत /93-100

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी